

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के धारा 1 (4) के अंतर्गत स्वेच्छा से व्याप्ति के लिए अधिकांश कर्मचारियों का सहमति पत्र

Consent Letter of Majority of Employees for Voluntary Coverage under Section 1(4) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

सेवा में,	/To,	तारीख / Date								
क्षेत्रीय १	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त / The Regional Provident Fund Commissioner,									
विषय :	मैसर्स (शाखाएं इत्यादि सहित प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 1(4) के अंतर्गत विस्तार करने की सह									
Sub:										
महोदय,	/Sir,									
पर व्या हिस्से व	हम अद्योहस्ताक्षरी मेसर्स	से स्वैछिक आधार के अंतर्गत माह की अंतिम तिथि को अपने								
(include Miscell month Provide Miscell	e the undersigned majority of employees of M/s	the Employees' Provident Funds and the last date of the we are willing to pay our share of								
	। अनुरोध करते है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम धेसूचना यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करें।	1952 की धारा 1(4) के अंतर्गत आवश्यक								
We	e request that necessary notification under Section 1(4) of the Act may	be issued at an early date.								
		भवदीय / Yours faithfully								

	नाम / Name	पिता का नाम / Father's	जन्म तिथि / Date of	हस्ताक्षर / Signature
SI No		name	Birth	
1				
2				
3				

धारा 1(4) के अंतर्गत विस्तार करने हेतु मैसर्सके अधिकांश कर्मचारियो सहमति पत्र									
(जारी) Consent of majority of Employees of M/s									
coverage under Section 1(4) (Continued)									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

put additional sheets if so required

नियोजक की सहमति Consent of Employer

	मैं / हम मेसर्स
कि पेरा एवं से तथ	स्वामी / निदेशक / भागीदार, भारत के राजपत्र में दिनांक
un bas pu Pro of En En	oprietor/Director/Partner of M/s
2.	अधिकतम कर्मचारी अंशदान के अपने हिस्से
3.	मैं / हम नियोजन के रूप में हम वादा करते है कि हम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंशदान को उक्त नियम की धारा 6 (ग), जिसे उक्त स्कीम के पैरा 7 के साथ पढ़ा गया है, के अंतर्गत तथा उल्लिखित 0.5 प्रतिशत की दर से तथा योजना के पैरा 3 के अंतर्गत तथा किया गया है। प्रशान्निक प्रभार 0.01 की दर से भुगतान करेंगे तथा सभी प्रावधानों व आवश्यकताओं, संविधिक तथा समय पर उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। I/We, as employer(s) do hereby undertake to and will pay the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. 1976 Contributions at the rate of 0.5% as provided under Section 6C of the said Act read with paragraph 7 of the said Scheme and Administrative Charges at the rate of 0.01% as provided under paragraph 3 of the Scheme and to abide by all provisions and requirements and the statute and the rules framed there under from time to time.
4.	मैं/हम यह भी आश्वासन देते है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बनाई गई योजना के अधीन लाभों को मेरे/हमारे अन्य शाखाओं/कार्यालयों/कर्मचारियों/एककों/विभागों/फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़ाएंगे। ऊपर उल्लिखित संस्थानों में नियोजित अधिकतम मजदूरों ने भी कुल कर्मचारियों के अधिकांश कर्मचारियों ने 'सहमित' दी है। I/We, also undertake and agree to extend the benefits under the Scheme framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 to the employees employed in my/our other branches/offices/units/departments/factories. The majority of the workers employed in the above mentioned concerns have also subscribed to the "consent" by the majority of total employees.
5.	मुझे / हमें नियोजक (को) के रूप में मजदूरों के अंशदान की दर

6.	केन्द्रीय	भविष्य	निधि	आयुक्त	के	द्वारा	अधिनियम	की	धारा	1(4)	के	अंतर्गत	आवश्यक	अधिसूचना	जारी	करने	के	लिए	आवश्यक
व्या	वस्था क	रें।																	

Necessary Arrangements may kindly be made to issue the necessary notification under Section 1 (4) of the Act, by the Central Provident Fund Commissioner.

Seal भवदीय/Yours faithfully

नियोजक (कों) का हस्ताक्षर/Signature of Employer(s)